न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास — मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या — 08/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		नरसीराम जाट पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी मु. पो. सेवडी तहसील व जिला नागौर। फर्म:— दूधिया

आदेश

दिनांक :15.06.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 07-10-2020 को ताराकिशन जी की दरगाह के पास, नागौर मे एक दूध विक्रेता की मोटर साइकिल रूकवाकर निरीक्षण किया जो कि खाद्य पदार्थ दूध मोटर साइकिल आरजे–21 एस 2. 1920 पर दो प्लास्टिक के केनों मे ले जा रहा था तथा दूध विक्रेता से नाम पता पूछने पर अपना नाम नरसीराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी मु.पो. सेवडी तहसील व जिला नागौर का होना बताया। खाद्य पदार्थ दूध में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1355 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/304/एक्ट/2020/129 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ दूध सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त नरसीराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी मु.पो. सेवडी तहसील व जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 31-12-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 14.10.2021 को श्री गोविन्द कडवा अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी ने दिनांक 15.06.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे बताया कि अप्रार्थी एक गरीब मजदूर व्यक्ति है जो अपने गांव के आसपास ही कुछ घरो में मोटर साईकिल से दूध वितरण करके अपना गुजारा भत्ता करता था जिसने जान बुझकर किसी प्रकार की मिक्सड मिलावट की कार्यवाही नहीं की है ना ही अप्रार्थी का कोई बडा तबेला जैसा व्यवसाय है। अप्रार्थी निकट भविष्य में इस तरह की पुनरावृति नहीं करेगा। इस कारण अप्रार्थी की उपरोक्त कार्यवाही जरिये हाजा ड्रोप कराने का आदेश परित करावे। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता हूं तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्वध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/304/एक्ट/2020/129 दिनांक 16.10.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ दूध का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी नरसीराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी मु.पो. सेवडी तहसील व जिला नागौर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)